

4 $\frac{6}{25}$

पत्रावली पेश। पार्थी व वकील पार्थी को
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने के पश्चात भी पार्थी व
वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं
आये। अतः पार्थी का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 रि 79 अधम दायरी
अधम परेवी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फंसल नुमांर होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल लफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दंतारागढ़ (सीकर)